

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या-08/नीति(विविध अधि0/नियम संसूचन)-07-17/2026-

(8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026" (बिहार अधिनियम 21, 2011), बिहार गजट असाधारण अंक 924, दिनांक-03.08.2026 में प्रकाशित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांक-08/नीति(विविध अधि0/नियम संसूचन)-07-17/2026- 803 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-17/08/26

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल, बिहार के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/विद्वान महाधिवक्ता, बिहार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक-08.06.2026 की बैठक के मद संख्या-25 के प्रसंग में गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर गजट की प्रति आज ही अपलोड करेंगे।

(मोना झा),
उप निदेशक।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)

(सं० पटना 924) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-21/2026-6306/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 21, 2026]

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-
 (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-17 में संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-17 के पश्चात् नयी उप-धारा (क) निम्नवत् जोड़ी जाती है:-
 "17(क) इस अधिनियम के अधीन दायर की गयी प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर 200/- शुल्क लिया जाएगा। उक्त शुल्क को राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।"

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-21/2026-6307/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 21, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 21, 2026]

The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2026

AN
ACT

to amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23 of 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy- seventh year of the Republic of India as follows: -

1. *Short title, extent and commencement.*-

- (1) This act may be called the Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. *Amendment in section-17 of the Bihar Act 23, 2011.*—After section-17 of the said Act, a new sub-section-(a) is added as following.-

"17(a) There shall be charged a fee of 200/- for every petition memorandum of appeal and application for revision filed under the Act. The said fee may be revised from time to time by the State Government by a special or general order."

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 924-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>